

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश संख्या—12प/ग्रा०मु०लो०प्र०—07-02/2026/537/पं०रा० पटना, दिनांक..18/9/26

उप निदेशक, पंचायती राज, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-87 दिनांक-28.02.2026 के माध्यम से लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा वाद सं०-01/2025 में पारित आदेश की प्रति अनुलग्नक सहित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा मो० इश्तेयाक, मुखिया, ग्राम पंचायत-हथौड़ी, प्रखण्ड-कटरा, जिला-मुजफ्फरपुर को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरुपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार/उपेक्षा एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अधीन मुखिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने-अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. मो० इश्तेयाक, मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि इनके द्वारा डस्टबीन क्रय एवं वितरण में अनियमितता बरती गयी है। प्रतिवेदित आरोपों की जाँच उप विकास आयुक्त, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-04 दिनांक-06.01.2023 द्वारा निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति द्वारा करायी गयी। उक्त समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों को सुनने के उपरांत लोक प्रहरी-सह-आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के तहत पदच्युत करने की अनुशंसा की गयी है।

4. लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आरोपित मुखिया को अपना पक्ष रखने हेतु विभागीय पत्रांक-7520 दिनांक-15.05.2026, पत्रांक-7993 दिनांक-22.05.2026 एवं पत्रांक-8345 दिनांक-29.05.2026 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में दिनांक-27.05.2026 को सुनवाई में उपस्थित होकर आरोपित मुखिया द्वारा लिखित रूप से अपना पक्ष रखने हेतु समय की मांग की गयी एवं अगली निर्धारित सुनवाई दिनांक-03.06.2026 को मुखिया अनुपस्थित रहे।

5. मो० इश्तेयाक, मुखिया के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप डस्टबीन क्रय एवं वितरण में अनियमितता की जाँच निदेशक (लेखा)-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में की गयी। जाँच में जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान, मुजफ्फरपुर,

जिला सलाहकार SLWM, लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान, मुजफ्फरपुर, जिला सलाहकार, CB-IEC, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुजफ्फरपुर, कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मुजफ्फरपुर, प्रखण्ड समन्वयक, कटरा, मुखिया, ग्राम पंचायत, हथौड़ी, सचिव, ग्राम पंचायत, हथौड़ी एवं आवेदक नदीमुर रहमान, हथौड़ी उपस्थित रहे।

6. जाँच के क्रम में अभिलेखों एवं संबंधित संचिका का जाँच दल द्वारा अवलोकन किया गया, कोटेशन सिर्फ एक ही संस्था का लगा हुआ था और उसी संस्था को कार्यादेश निर्गत किया गया था। साथ ही उसका Specification भी दर्शाया हुआ नहीं था। अभिलेख/संचिका अद्यतन नहीं था एवं सही तरीके से संधारित नहीं था। आवेदक द्वारा बताया गया कि वार्ड 11 में लगभग 200 परिवार रहते हैं। ग्राम पंचायत कार्य योजना के अनुसार पंचायत में कुल 2393 HH है। आवेदक द्वारा बताया गया कि कुछ घरों को डस्टबीन नहीं मिला है जिस पर मुखिया द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड के वार्ड सदस्यों द्वारा डस्टबीन नहीं लिया गया है। वार्ड संख्या 9 के वार्ड सदस्य मंजूरी खातून के पति द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा डस्टबीन का वितरण हुआ है।

डस्टबीन वितरण पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि डस्टबीन वितरण पंजी पर पेजिंग नहीं था साथ ही मुखिया/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था तथा किस कार्य हेतु उपयोग की जा रही है ये भी वर्णित नहीं था। अन्य कोई कागजात/पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपलब्ध कराए गए डस्टबीन का मापदंड कार्यपालक अभियंता, मनरेगा द्वारा निम्नवत् पाया गया :-

- (1) डस्टबीन का वजन 385 ग्राम ब्लूवाला का एवं ग्रीनवाला का 368 ग्राम था।
- (2) ऊँचाई 270 एम०एम० एवं ऊँचाई ढक्कन सहित 290 एम०एम०
- (3) व्यास/गहराई 175 एम०एम० नीचेवाला भाग एवं टॉप 260 एम०एम०
- (4) डस्टबीन पर आई.एस.ओ. भी नहीं पाया गया।

जाँच के क्रम में पंचायत सरकार भवन पर आये जनता द्वारा एवं आवेदक द्वारा बताया गया कि बहुत सारे घरों में डस्टबीन (बाल्टी) का वितरण ही नहीं हुआ है। जिससे मुखिया/सचिव से पृच्छा के आलोक में बताया गया कि वो लोगों को डस्टबीन देने गये थे तो उन लोगों ने नहीं लिया और कहाँ कि बड़ा वाला डस्टबीन उपलब्ध कराया जाए, तभी हम डस्टबीन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये डस्टबीन छोटा है। आवेदक द्वारा बताया गया कि वार्ड संख्या 11 में सभी घरों में डस्टबीन नहीं मिला है, जिसमें सदस्यों द्वारा घरवालों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ को मिला एवं कुछ को नहीं मिला। कुछ घरवालों ने बताया कि उन्हें डस्टबीन बाँटने कोई नहीं आया है।

7. मुखिया के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में लोक प्रहरी के समक्ष प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि कोटेशन से संबंधित आरोप गलत है। दूसरे संस्था का कोटेशन उपलब्ध है। कुल 2 कोटेशन लिया गया था। लगभग सभी घरों में डस्टबीन की आपूर्ति कराई गयी थी, केवल कुछ घरों में ही डस्टबीन नहीं देने की चर्चा है। जाँच टीम के समक्ष लाभुकों ने भी कहा की वे डस्टबीन नहीं लेंगे। ये सभी परिवादी नदीमुर रहमान (परिवार) के सिखाये हुए लोग थे। शेष डस्टबीन भंडार में था। जिसे जाँच टीम को दिखाया गया था। अतः इसमें गबन की कोई मंशा नहीं थी। आज भी वह डस्टबीन भंडार में मौजूद है। जिसको दिखाया

जा सकता है। वार्ड सदस्यों ने भी स्वीकार किया कि उनके द्वारा डस्टबीन प्राप्त कर वितरण किया गया।

8. लोहिया स्वच्छ, बिहार अभियान के पत्रांक-197 दिनांक-23.06.22 से बिहार वित्तीय नियमावली एवं Gem Portal से ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सामाग्रियों की खरीदारी की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निदेश दिया गया है। उक्त पत्र के कंडिका-क-05 (ख) सामाग्रियों की क्रय प्रक्रिया: बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर तीन सदस्यीय स्थानीय क्रय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी द्वारा प्रखंड समन्वयक/पंचायत रोजगार सेवक/आवास सहायक/किसान सलाहकार/महिला पर्यवेक्षिका/प्रखंड स्तरीय अन्य पर्यवेक्षकों में से किसी एक को भी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। समिति द्वारा दर, गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की युक्ति संगतता निश्चित करने तथा सही आपूर्तिकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण किया जायेगा। क्रय किये जाने वाले सामाग्रियों में यथासंभव वारंटी एवं गारंटी इत्यादि संबंधित सूचना वर्णित करने हेतु ऐजेंसियों को निदेशित किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों के निर्माता/ऐजेंसी इत्यादि से सीलबंद लिफाफे में क्रय किये जाने वाली सामग्रियों की विशिष्टीकरण के अनुसार कोटेशन की मांग निश्चित समय सीमा में की जायेगी। कम से कम तीन निर्माता/ऐजेंसी (जी०एस०टी युक्त निर्माता/ऐजेंसी) से कोटेशन प्राप्त होने पर क्रय समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में कोटेशन खोला जायेगा। क्रय समिति के सदस्यों द्वारा कोटेशन का अवलोकन किया जायेगा एवं सामग्रियों की विशिष्टीकरण/गुणवत्ता के आधार पर सबसे कम दर वाले ऐजेंसी को चयन हेतु अनुशंसित किया जायेगा एवं समिति की सदस्यों द्वारा सामुहिक रूप से ऐजेंसी के चयन हेतु प्रतिवेदन अभिलेखित किया जायेगा।

9. ग्राम पंचायत राज हथौड़ी के मुखिया श्री इश्तेयाक अहमद द्वारा डस्टबीन एवं अन्य सामग्रियों के क्रय में विभाग द्वारा निर्धारित पंचायत स्तरीय क्रय समिति का गठन नहीं किया गया एवं तीन कोटेशन भी प्राप्त नहीं किया गया है, जो निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है। लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के स्तर पर सुनवाई के क्रम में उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया है कि उक्त पंचायत में पंचायत स्तरीय क्रय समिति का गठन नहीं किया गया। जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुजफ्फरपुर द्वारा भी जानकारी दी गयी है कि पंचायत स्तरीय क्रय समिति का गठन नहीं किया गया तथा कम से कम 3 कोटेशन लिया जाना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया।

10. आरोपित मुखिया का यह कृत्य मुखिया पद में निहित शक्तियों का दुरुपयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का द्योतक है। साथ ही उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा भी की गयी है।

11. विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया मो० इश्तेयाक को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अधीन आदेश

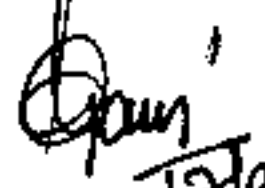
निर्गत किये जाने की तिथि से ग्राम पंचायत-हथौड़ी, प्रखण्ड-कटरा, जिला-मुजफ्फपुर को मुखिया के पद से पदच्युत किया जाता है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मनोज कुमार)

13344

ज्ञापांक: 12प/ग्रा०मु०लो०प्र०-07-02/2026/...../पं०रा० पटना दिनांक 18/9/2026
प्रतिलिपि: मो० इश्तेयाक, मुखिया, ग्राम पंचायत-हथौड़ी, प्रखण्ड-कटरा, जिला-मुजफ्फपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

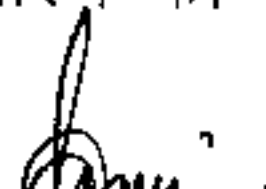
13344

ज्ञापांक: 12प/ग्रा०मु०लो०प्र०-07-02/2026/...../पं०रा० पटना दिनांक 18/9/2026
प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त-सह-लोक प्रहरी, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटरा, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

13344

ज्ञापांक: 12प/ग्रा०मु०लो०प्र०-07-02/2026/...../पं०रा० पटना दिनांक 18/9/2026
प्रतिलिपि: सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)

13344

ज्ञापांक: 12प/ग्रा०मु०लो०प्र०-07-02/2026/...../पं०रा० पटना दिनांक 18/9/2026
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)

13344

ज्ञापांक: 12प/ग्रा०मु०लो०प्र०-07-02/2026/...../पं०रा० पटना दिनांक 18/9/2026
प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।


(मनोज कुमार)
सचिव